राजस्थान सरकार

निदेशालय, कोष एवं लेखा, राज., जयपुर

क्रमांक : एफ.4(ई) एच–43 / 2023 / अलेसे–III / 97 दिनांक :– 09.01.2026

परिपत्र

प्रायः देखने में आया है कि विभिन्न विभागों / कार्यालयों में पदस्थापित परिवीक्षाधीन प्रशिक्षु कनिष्ठ लेखाकारों के असाधारण अवकाश विभागाध्यक्ष / कार्यालयाध्यक्षों के स्तर पर ही स्वीकृत कर दिये जाते हैं, जो कि वित्त (नियम अनुभाग) विभाग के परिपत्र दिनांक 06.01.2020 के अनुसरण में उचित नहीं है। वित्त (नियम अनुभाग) विभाग के परिपत्र दिनांक 06.01.2020 के अनुसार परिवीक्षाधीन प्रशिक्षु कार्मिकों को एक माह तक के असाधारण अवकाश की स्वीकृति हेतु नियुक्ति अधिकारी तथा एक माह से अधिक के असाधारण अवकाश की स्वीकृति हेतु प्रशासनिक विभाग सक्षम है। अतः भविष्य में वित्त (नियम अनुभाग) विभाग के परिपत्र दिनांक 06.01.2020 के अनुसरण में परिवीक्षाधीन प्रशिक्षु कनिष्ठ लेखाकारों के असाधारण अवकाश प्रकरण स्वीकृति हेतु निदेशालय में ही भिजवाये जाने का श्रम करावें।

8/1/2026

(संध्या शर्मा)
निदेशक एवं पदेन
संयुक्त शासन सचिव

क्रमांक : एफ.4(ई) एच–43 / 2023 / अलेसे–III / 97 दिनांक :– 09.01.2026

प्रतिलिपि :– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है –

1. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. समस्त विभागाध्यक्ष / कार्यालयाध्यक्ष।
3. समस्त अतिरिक्त निदेशक / संयुक्त निदेशक / उप निदेशक कार्यालय हाजा।
4. वरिष्ठ निजि सचिव, निदेशक महोदया कार्यालय हाजा।
5. रक्षित पत्रावली

(सीमा कौशल)
संयुक्त निदेशक (कार्मिक–II / III)